भूकंपनीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र

1863. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में आए भूकम्प में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) इससे कुल कितनी संम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) देश के कौन-कौन से क्षेत्र भूकम्प संभावित क्षेत्र हैं;

(घ) क्या भूकम्प आने के बारे में पूर्ण पूर्व सूचना प्राप्त करने का कोई विश्वसनीय तरीका है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उसका उपयोग कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, जबलपुर तथा आस-पास के क्षेत्रों में 22 मई, 1997 को आए भूकम्प के कारण 39 व्यक्तियों की जानें गईं, 397 लोग घायल हुए तथा 1.66 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश को पांच भूकम्प संभावित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पांचवा क्षेत्र भूकम्प के संबंध में अत्यन्त सक्रिय क्षेत्र है जबकि क्षेत्र I कम सक्रिय है। व्यापक रूप से, क्षेत्र 5 में सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी भारत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। क्षेत्र 4 में जम्मू और कश्मीर के शेष हिस्से, बिहार एवं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली संघ शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिक्कम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं गुजरात के हिस्से तथा पश्चिमी तट के नजदीक महाराष्ट्र के थोड़े से भाग को कवर किया गया है। क्षेत्र 3 में केरल, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के शेष भाग, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के भाग शामिल हैं। देश के शेष हिस्से क्षेत्र-I और 2 में आते हैं।

(घ) विश्व में कहीं भी वैज्ञानिक आधार पर समय, स्थान एवं परिमाण में परिशुद्धता की उचित डिग्री सहित भूकंप के बारे में पूर्व सूचना देना अभी तक संभव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Elimination of Root Wilt Disease Affecting Coconut Trees

1864. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the steps taken to eliminate root wilt disease affecting coconut trees in large areas in the country;

(b) whether any compensation is given to the coconut growers who are, to cut down disease affected trees; if so, what is the rate of compensation; and

(c) what are the financial assistances given to cultivators to plant new seedlings and to nurse it for 7 to 8 years till the time the plants begin to give yield?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The Coconut Development Board is implementing a scheme on integrated farming in coconut holding for improving the productivity of coconut. Under this scheme, root wilt disease affected plams at advnaced stage are removed, and better management practices are advised to contain the disease.

(b) Yes Sir, compensation of Rs. 200 per plam is given for cutting and removal of diseased palms.

(c) The following assistance is provided by Government of India through the Coconut Development Board under the integrated farming in coconut holding;

(i) Subsidy on seedling at the rate of Rs. 5 each seedling.

(ii) Subsidy at the rate of Rs. 8 each for fertiliser and plant protection chemicals.

(iii) Assistance for multi-species cropping and green manuring at the rate of Rs. 200 per ha.

Besides, the subsidy of Rs. 6000 per ha. for undertaking new planting is also given under the scheme "expansion of